क्र.	नाम	हस्ताक्षर
(49)	श्री लाखचंद यादव - सदस्य	
(50)	श्री सुखमचंद करमानिया - एल्डरमेन	
(51)	" गुरुविंदर धड़ - -"-	
(52)	" नरेश गोरख - -"-	
(53)	" अफरोज जायसवाल - -"-	
(54)	" नितेश सोनी - -"-	
(55)	" मनोज शर्मा - -"-	
(56)	" सुभाष पांडेय - सांसद प्रतिनिधि	
(57)	" महावीर चौहान - विधायक प्रतिनिधि	

क्र	प्रस्ताव	निर्णय
(15)	MIC के प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 09/12/2015 में अनुशंसानुसार नामकरण का प्रस्ताव स्वीकृति पर विचार।	~~प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत~~ (15) प्रस्ताव पर चर्चा की गई 1. श्रीमती सावित्री देवी अग्रवाल मार्ग का नामकरण 2. श्रीमती सावि. जिंदल सेतु नामकरण जिला प्रशासन तथा राज्य शासन से अनुमति प्रदान की गई है इस संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ अगली बैठक में रखा जावे
(16)	जल आवधन योजनान्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायगढ़ द्वारा राशि रु. 4004.00 लाख (चालीस करोड़ चार लाख) की पुनरीक्षित योजना की MIC प्रस्ताव क्र. (04) दिनांक 14/01/2016 को लिए गए निर्णय अनुसार स्वीकृति हेतु विचार।	(16) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत।

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
(17)	राज्य प्रवर्तित गौरव पथ योजनांतर्गत सर्किट हाऊस से उर्दना तक सड़क नाली फुटपाथ एवं डिवाईडर निर्माण हेतु प्रस्ताव राशि रू. 2159.40 (इक्कीस करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार) मात्र MIC प्रस्ताव क्र. (65) में लिए गए निर्णय अनुसार स्वीकृति हेतु विचार।	प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। (17) सर्किट हाऊस से उर्दना तक सड़क नाली एवं डिवाईडर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त गौरव पथ योजना में निज भूमि / कब्जाधारी भूमि / विद्युत पोल हटाया जाना उसका मुआवजा की राशि भी सम्मिलित कर विस्तृत जानकारी के साथ अगली बैठक में रखें।
(18)	जोनल कार्यों का निविदा स्वीकृति की गई थी। स्वीकृत कार्यों की विस्तृत जानकारी तथा उसमें से कितने कार्य हुए तथा शेष कार्य कब तक होंगे ?	प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। (18) स्वीकृत कार्यों का तत्काल कार्यादेश जारी करें तथा जिन वार्डों का जोनल में कार्य कराने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उस पर तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा आगामी वित्तीय वर्ष 16-17 हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे। उक्त कार्यवाही में विलंब होने पर संबंधित ठेकेदार / अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
(19)	विभिन्न साईज के 277 कन्टेनर क्रय किए जाने संबंधित विस्तृत जानकारी एवं उनका भौतिक सत्यापन पर विचार।	प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत। (19) कन्टेनर क्रय की शिकायत की जाँच हेतु महापौर / सभापति द्वारा जाँच हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 के अंतर्गत समिति का गठित की जाती है जो निम्नानुसार है :- (1) श्री दिनेश सोलंकी - पार्षद वार्ड नं. 18 (2) श्री अशोक यादव - — " — (92) (3) श्री शारदा यादव - — " — (14) (4) श्री राजेन्द्र ठाकुर - — " — (27) (5) श्रीमती शीलावती धुर्वे - — " — (67)
(20)	नगर में वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन होता रहता है। वार्डों का नम्बर एवं नाम भी बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रक्रिया अनुसार घरों के नम्बर बदल जाते हैं जिसमें विषम स्थिति पैदा होती है। घरों को स्थायी नम्बर देने हेतु विचार।	
(21)	कुछ पुराने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया है। उनको पुन: नियुक्ति किए जाने हेतु विचार।	

(6) श्री डी. के. शर्मा - कार्य पालन अभियंता न.पा. निगम रायगढ़

समिति द्वारा 15 दिवस में कन्टेनर के भौतिक सत्यापन एवं क्रय की जाँच कर प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजें। साथ ही सेंट्रल स्टोर की स्थापना करायी जावे तथा निगम द्वारा क्रय की सामग्रियों का वितरण सेंट्रल स्टोर के माध्यम से ही किया जावे।

(20) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत रायगढ़ निगम क्षेत्र में महानगर की तर्ज पर स्थायी मकान नम्बर हेतु शासन से मार्गदर्शन लिया जावे। तथा निगम क्षेत्र में 40 वार्डों के हिसाब से राशन दुकान संचालित हो रही है, जबकि वर्तमान में 48 वार्ड हैं, तदानुसार राशन दुकान की वृद्धि हेतु कलेक्टर/खाद्य शाखा रायगढ़ को पत्र भेजा जावे।

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)